न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, गोण्डा।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1064/2026

CNRNo.UPGD010032062026

1–अनिल कुमार आयु करीब 37 साल पुत्र राम नरायन,
निवासी–ग्राम बाबूराम पुरवा, थाना–धानेपुर, जिला–गोण्डा।

..... **प्रार्थी/अभियुक्त।**

बनाम

सरकार उ०प्र०। ..... **विपक्षी।**

मुकदमा अपराध संख्या–130/2026
धारा–191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 118(1), 296, 324(4), 125, 109(1) बी.एन.एस. व 3(1)द, ध व 3(2)(5) एस.सी./एस.टी. एक्ट,
थाना–धानेपुर, जिला–गोण्डा।

दिनांक–30.05.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **अनिल कुमार** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–130/2026, धारा–191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 118(1), 296, 324(4), 125, 109(1) बी.एन.एस. व 3(1)द, ध व 3(2)(5) एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना–धानेपुर, जिला गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती रामपति द्वारा इस आशय की लिखित तहरीर थाना–धानेपुर, जनपद–गोण्डा में दी गयी कि प्रार्थिनी रामपति पत्नी देशराज पासवान ग्राम गुणा गांव, थाना–शिवगढ़, जनपद–रायबरेली की मूल निवासिनी है। हाल मुकदमा रामलीला मैदान थाना–धानेपुर, जनपद–गोण्डा में नगर पंचायत धानेपुर (रामलीला) धानेपुर में टायल लगाने का कार्य मेरे पति करते है और मैं साथ में रहती हूं। दिनांक–27.04.2026 को समय करीब 11 बजे दिन में शौच के लिए बाहर गयी कि विपक्षी रास्ते में मुझे देखकर अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए फब्तियां कसने बोलने लगे और कहने लगे कि मेरे साथ चलो तब मैं शर्माकर चुपचाप वहां से चली आयी और मैं पूरी बात अपने पति से आकर बतायी कि विपक्षी को दिखाई जो रामलीला के सामने से रास्ते पर से जा रहे थे कि यहीं लोग है और जब मेरे पति ने जाकर पूछा कि हम लोग मजदूरी करने आया हूँ। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो और इसी बात पर नाराज होकर विपक्षीगण कुछ और लोगों को फोन करके बुला लिए और नाराज होकर गाली देते हुए मेरे पति को मारने लगे, मूक्का, थप्पड़, लाठी, डंडा व चाकू से मारने लगे और अन्य लोग जो आये वह भी ईंट पत्थर डंडा से मारने लगे जब मेरे साथ के काम करने वाले लोग चन्द्र लाल यादव, सोनू सिंह, मो० नोमान खाँ बचाने आये और मैं भी गयी तो हम लोगों को भी मारने

Digitally signed by Alok Sharma
Date: 2026.06.05 16:03:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पीटने लगे और एक लोग उक्त घटना का वीडियो बना रहे थे, जिससे वीडियों में दिखाई दे रहे लोगों का, जो मारपीट में शामिल थे, जिनका नाम क्रमशः राजन सोनी, प्रदीप कुमार, अजय कुमार, प्रहलाद, अनिल कुमार, अजय कुमार का भतीजा नाम अज्ञात तथा तीन चार व्यक्ति का नाम पता अज्ञात है और मेरे पति को कोरी पासी चमार साले जाति सूचक गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए टायल व कुर्सी तोड़ते हुए नुकसान करते हुए चले गये। अतः आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना–धानेपुर, जिला–गोण्डा में दिनांक–27.04.2026 को 16.20 बजे, राजन सोनी, प्रदीप कुमार, अजय कुमार, प्रहलाद, अनिल कुमार, अजय कुमार का भतीजा नाम अज्ञात तथा तीन चार व्यक्ति का नाम अज्ञात के विरूद्ध घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा–191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 118(1), 296, 324(4), 125 बी.एन.एस. व 3(1)द, ध एस.सी./एस.टी. एक्ट पंजीकृत की गयी। दौरान विवेचना धारा–109(1) बी.एऩ.एस. व 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/आवेदक को झूंठा व रंजिशन फंसाया गया है, प्रार्थी द्वारा कथित अपराध नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब के साथ तथा राम मशविरा कर झूंठी दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मामलें में धारा–109(1) बी.एन.एस. व धारा–3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट की बढ़ोत्तरी दौरान विवेचना गिरफ्तार करने के इरादे से बढायी गयी है, जबकि उक्त धाराओं का कोई साक्ष्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादिनी मुकदमा किसी अभियुक्त को नहीं जानता, जबकि कथित वीडियो के आधार पर नामजद कराया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी पक्ष व अभियुक्तगण एक दूसरे के जाति से परिचित नहीं है और न ही किसी जातीय वैमनस्य से कारित करने का आरोप है इसलिए इस मामलें में एस.सी./एस.टी. एक्ट के प्राविधान आकृष्ट नहीं होते है। प्रार्थी न तो कथित घटना में शामिल हुआ है और न ही प्रार्थी द्वारा कथित अपराध किया है। प्रार्थी की कोई विशिष्ट भूमिका प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शायी नहीं गयी है और न ही प्रार्थी के हाथ में किसी हथियार का होना कहा गया है। वादिनी व उसके पति को कोई गम्भीर चोट होना नहीं कहा गया है और न ही अभियोजन द्वारा कोई इंजरी रिपोर्ट गम्भीर चोट के बारे में प्रस्तुत की गयी है, मामले में धारा–109(1) बी.एन.एस. का अपराध भी नहीं आयद होता है। एफ.आई.आर. में घटनास्थल का कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही किसी दाण्डिक मामलें में दोषसिद्ध हुआ है। प्रार्थी दौरान विचारण विवेचना न्यायालय और विवेचक को पूरा सहयोग करेगा तथा आहूत करने पर उपस्थित होता रहेगा। अतः प्रार्थी का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार करके प्रार्थी को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा करने की कृपा की जावे।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपराध की गम्भीरता के आधार पर जमानत का विरोध किया गया है और जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचक श्रीमती रामपति द्वारा दिनांक–27.04.2026 को आवेदक/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादिनी मुकदमा, उसके पति व अन्य लोगों को ईंट, पत्थर, डंडा से मारने पीटने, जाति सूचक गाली देने व कुर्सी तोड़ने के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। केस डायरी पर मजरूब देशराज, मो० नोमान व अवधेश उर्फ सोनू सिंह की आघात आख्या दाखिल है, जिसमें मजरूबों को आयी चोटें साधारण प्रकृति की है तथा चोटहिल रामपति को आयी चोट के बावत उसे Expert Opinion हेतु जिला अस्पताल गोण्डा रेफर किया गया है किन्तु केस डायरी के साथ कोई भी मेडिकल प्रपत्र जिला चिकित्सालय का संलग्न नहीं किया गया है, जिससे इस प्रारम्भिक स्तर पर दर्शित होता हो कि मजरूबा/वादिनी मुकदमा को आयी हुई चोटें गम्भीर प्रकृति की है। केस डायरी के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि विवेचक द्वारा दौरान विवेचना पर्चा नं०–1 में बिना डाक्टर के बयान लिये सिर्फ वादिनी मुकदमा के बयान के आधार पर ही धारा–109(1) बी.एन.एस. की बढोत्तरी की गयी है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक–28.04.2026 से जेल में निरूद्ध है, विवेचना अभी प्रचलित है। संबंधित थाने से आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध एक अन्य मु०अ०सं०–236/2017, अन्तर्गत धारा–60, 60(2) आबकारी अधिनियम दर्ज होना उल्लिखित किया गया है, किन्तु दोषसिद्धी के बावत कोई आख्या संबंधित थाने से प्राप्त नहीं है, शेष अन्य बातें साक्ष्य का विषय है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर विचार व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है, तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **अनिल कुमार** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–130/2026, धारा–191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 118(1), 296, 324(4), 125, 109(1) बी.एन.एस. व 3(1)द, ध व 3(2)(5) एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना–धानेपुर, जिला गोण्डा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1064/2026 **स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०–50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल किए जाने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

(आलोक शर्मा)

दिनांक–30.05.2026

विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट,
गोण्डा।
JO Code-UP1751